रायपुर विकास प्राधिकरण

भक्त माताकर्मा व्यावसायिक परिसर, न्यू राजेन्द्रनगर रायपुर (छत्तीसगढ़) 492006

कमल विहार में आवासीय भूखंडों के लाटरी से भूंखड आबंटन के नियम एवं शर्ते

रेरा पंजीयन क्रमांक :– PCGRERA-190618000236

क्रमांक .... दिनांक ....

पासपोर्ट साईज फोटो

आवेदक का नाम ....

आवेदन पत्र का मूल्य 500/– (पाँच सौ रूपये) की राशि

रसीद क्रं.............................. बुक क्रं. ....

दिनांक ....द्वारा जमा किया गया ।

मुहर

(कैशियर के हस्ताक्षर)

आवेदक द्वारा भरा जाना है

1. आवेदक/संस्था/फर्म/ट्रस्ट/समिति का नाम ....
....
....
2. पिता/पति का नाम ....
3. आयु ....
4. आवेदक का पत्र व्यवहार का वर्तमान/स्थाई पता :–
   अ. निवास का वर्तमान पता ....
   ....
   ब. निवास का स्थाई पता ....
   ....
   स. दूरभाष/मोबाईल नं. ....
   ई–मेल आईडी ....

5. क्या आवेदक आरक्षण सुविधा का लाभ लेना चाहता है ? Yes / No

यदि हां तो उपयुक्त कॉलम में सही का निशान लगाए। आवेदक जिस श्रेणी में आरक्षण का लाभ लेना चाहता है उस कालम में सही का निशान लगायें।

1. अनुसूचित जाति /जनजाति के लिए	10%	
2. पिछड़ा वर्ग के लिए	6%	
3. शासकीय/शासन के उपक्रम/स्थानीय संस्थाएं	2%	
4. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए	4%	
5. सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए	2%	
6. शारीरिक विकलांगों के लिए	1%	
7. निराश्रित एवं साधनहीन विधवाओं के लिए	2%	

टीपः— यदि आरक्षण का लाभ चाहते हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वांछित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है ।

6.1 लीज—होल्ड या फ्री होल्ड

6.2 आवेदक द्वारा चाहे गए भूखंड के लिए निम्नानुसार प्रवृष्ठियां की जावें

भूखण्ड चयन	तलिका में दर्शाये गये सरल क्रं.	आरक्षण श्रेणी	भूखण्ड क्रं.	सेक्टर क्रं.	क्षेत्रफल (वर्गफुट में)	हस्ताक्षर
प्रथम चयन						
द्वितीय चयन						
तृतीय चयन						

मेरे द्वारा सभी नियम व शर्तो का अवलोकन कर लिया गया है तथा सभी नियम व शर्ते मुझे स्वीकार है।

आवेदक का नाम — ....

हस्ताक्षर — ....

7. पंजीयन राशि जमा करने का विवरण :—

अ. जमा की गई राशि

1.) फार्म शुल्क की राशि | | | | | | | | | | |

2.) पंजीयन शुल्क की राशि | | | | | | | | | | |

क्रं0	विवरण	आवेदक द्वारा भरा गया विवरण
1.	राशि (शब्दों मे)	
2.	बैंक का नाम	
3.	शाखा	
4.	शहर	

ब. बैंक ड्राफ्ट/पे.आर्डर/बैंकर्स चेक का विवरण :—

क्रं0	विवरण	आवेदक द्वारा भरा गया विवरण
1.	जारी करने वाले बैंक का नाम	
2.	शाखा	
3.	शहर	
4.	दिनांक एवं क्रमांक	क्रमांक .... दिनांक....................

स. NEFT /RTGS का विवरण जो कि आवेदक द्वारा जमा की जाये :—

क्रं0	विवरण	आवेदक द्वारा भरा गया विवरण
1.	भेजने वाले बैंक का नाम	
2.	शाखा	
3.	शहर	
4.	यू.टी.आर नम्बर	
5.	आवेदक का पेन नं0	क्रमांक .... दिनांक....................

द. आवेदक द्वारा NEFT/RTGS से धरोहर राशि एवं फार्म शुल्क जमा करने हेतु विवरण

क्रं0	विवरण	
1.	रायपुर विकास प्राधिकरण A/c No.	**3314744477**
2.	खाते का नाम	**कमल विहार कलेक्षन एकाउंट**
3.	बैंक का नाम	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सदर बाजार रायपुर (छत्तीसगढ़)
4.	IFSC	CBIN0281468
5.	MICR CODE	492016005
7.	SWIFT CODE	CBININBBBHI

8. **असफल आवेदनकर्ता के लिये राशि रिफंड प्राप्त करने हेतु :–**

क्रं0	**विवरण**	**आवेदक द्वारा भरा गया विवरण**
1.	आवेदनकर्ता के बैंक का नाम	
2.	शाखा	
3.	आवेदनकर्ता के बैंक का खाता क्रमांक	| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.	आवेदनकर्ता के बैंक का IFSC कोड	

(आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम.......................................

<u>घोषणा–पत्र</u>

1. मैं प्रमाणित करता हूं /करती हूं कि मैने आवेदन–पत्र में जो जानकारी दी है, वह सत्य है तथा मैने बिन्दु क्रमांक 1 से 36 तक नियम एवं शर्तें पढ़ लिये है अथवा मुझे समझा दिये गये है। मुझे सभी नियम व शर्तें मान्य है, जिसका मेरे द्वारा पालन किया जाएगा। मेरे द्वारा कोई भी जानकारी छिपाई नहीं गई है। जानकारी असत्य पाए जाने पर मेरा आबंटन निरस्त किया जा सकता है एवं जमा की गई राशि राजसात की जा सकती है। इसके अलावा अभियोजन की कार्यवाही भी की जा सकेगी।
2. मैं वचन देता हूं कि मुझे भूखण्ड आबंटन होने की स्थिति में :
   - (अ) मैं भूखण्ड का केवल आवासीय उपयोग ही करूंगा ।
   - (ब) मैं प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किश्त एवं अन्य प्रभार जो समय–समय पर भारित होंगे, का नियमित रूप से भुगतान करूंगा ।
   - (स) मैं शासन/स्थानीय शासन द्वारा निर्धारित प्रभार/कर आदि का नियमित रूप से भुगतान करूंगा ।
   - (द) मैं भूखंड का किसी भी प्रकार से विभाजन कर अन्य को विक्रय नहीं करूँगा ।
3. प्राधिकरण एवं आवेदक के मध्य उत्पन्न किसी विवाद को पंच निर्णय हेतु सौपा जाएगा और ऐसे विवाद का निपटारा अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अथवा इस हेतु उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। अध्यक्ष द्वारा किसी व्यक्ति को पंच (ऑबिट्रेटर) नियुक्त किए जाने के संबंध में मुझे आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा, भले ही ऐसा आबिट्रेटर रायपुर विकास प्राधिकरण का कोई अधिकारी ही क्यों न हो ।

स्थान : ....

दिनांक ....

(आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम.......................................

नाम................................

पंजीयन राशि .... बैंक ड्राफ्ट/पे.आर्डर/बैंकर्स चेक ....

बैंक का नाम .... कमांक.................... दिनांक..............................से जमा किया गया ।

(आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम.......................................

रायपुर विकास प्राधिकरण

भक्त माताकर्मा व्यावसायिक परिसर, न्यू राजेन्द्रनगर रायपुर (छत्तीसगढ़) 492006

आवासीय भूखंडों के लाटरी से भूंखड आबंटन की नियम एवं शर्ते

1. किसी संस्था या व्यक्ति जो आवासीय उपयोग हेतु भूखण्ड खरीदने हेतु पात्र है, से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
2. पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र रायपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय, (न्यू राजेन्द्र नगर स्थित भक्त माता कर्मा परिसर के द्वितीय तल पर) रायपुर से रू. 500/– का नगद भुगतान करके प्राप्त किये जा सकते है। आवेदन शुल्क की राशि वापसी योग्य नहीं है। आवेदन पत्र शनिवार से शुक्रवार सुबह 10.30 से शाम 3.00 बजे तक एवं शनिवार को दोपहर 1. 00 बजे तक शासकीय अवकाश को छोड़कर प्राप्त किये जा सकेगें। आवेदन फार्मो का विक्रय निरंतर जारी रहेगा तथा प्रति बुधवार प्राप्त आवेदन पत्रों पर दोपहर 2.00 बजे लाटरी से आबंटन की कार्यवाही की जावेगी।
3. आवेदन के लिए निर्धारित की गई पंजीयन राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, एकाउण्ट सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया रायपुर के नाम पर देय बैंक ड्रॉफ्ट/पे–आर्डर/बैंकर्स चेक/NEFT/RTGS द्वारा स्वीकार की जावेगी। इस हेतु प्रत्येक भूखंड के लिए आवेदन पत्र के परिशिष्ट क्र. 1 में देय पंजीयन राशि दर्शायी गयी है। बिना पंजीयन राशि के आवेदन–पत्र स्वीकार नही किये जाऐगें।

A. आवेदन–पत्र को रायपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट **www.rdaraipur.com** से भी डाउनलोड किया जा सकता है। ऐसे डाउनलोड किए गए सभी आवेदन पत्रों के साथ 500/– रू. मूल्य का डिमांड ड्राफ्ट, जो **मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण A/C सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रायपुर** के नाम से देय हो, संलग्न करना आवश्यक होगा, साथ ही संबंधित दस्तावेजों एवं पंजीयन राशि का ड्राफ्ट भी संलग्न करना होगा।

B. छत्तीसगढ़ स्थित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की समस्त शाखाओं से भी आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किये जा सकते है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र मय दस्तावेजों एवं पंजीयन शुल्क सहित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सभी शाखाओं में भी जमा किया जा सकता है।

C. आवेदन पत्र शुल्क 500 रू. एवं पंजीयन राशि को NEFT/RTGS/BANK TRANSFER से भी जमा किया जा सकता है तथा रसीद की फोटोकापी आवेदन–पत्र के साथ लगाकर अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।

4. संपूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन–पत्र, पंजीयन राशि के साथ प्राधिकरण कार्यालय में प्रति दिन संध्या 5.00 बजे तक जमा करायें जा सकते है। आवेदन–पत्र डाक द्वारा भी जमा कराये जा सकते हैं।
5. प्रत्येक आवेदक अपनी पसन्द अनुसार 03 वैकल्पिक भूखण्डों का चयन कर सकता है। सर्वप्रथम प्रथम चयनित भूखण्ड के लिये यदि एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते है तो इस भूखण्ड के लिये हितग्राही का चयन लॉटरी से किया जायेगा यदि आवेदक को प्रथम चयनित भूखण्ड प्राप्त नही होता है तो ऐसी स्थिति में उसका आवेदन द्वितीय चयनित भूखण्ड के रिक्त होने पर (किसी अन्य आवेदक द्वारा प्रथम चयनित भूखण्ड के रूप में ना होने कि स्थिति में रिक्त होने पर) द्वितीय लॉटरी में शामिल किया जावेगा। द्वितीय चयनित भूखण्ड यदि रिक्त न हो तो आवेदक का आवेदन पत्र तृतीय चयनित भूखण्ड के रिक्त होने पर (किसी अन्य आवेदक द्वारा प्रथम/द्वितीय चयनित भूखण्ड के रूप में ना होने कि स्थिति में रिक्त होने पर) लॉटरी मे शामिल किया जावेगा।

6. प्राप्त वैध आवेदनों पत्रों में से प्रत्येक भूखण्ड के लिये एक से अधिक प्राप्त आवेदन पत्रों पर कम्प्यूटरीकृत लॉटरी की कार्यवाही की जावेगी यदि किसी भूखण्ड के लिये केवल एक आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो उसके लिये लॉटरी की आवश्यकता नही होगी। लाटरी प्रत्येक बुधवार को दोपहर 2.00 बजे कार्यालय परिसर के मिटिंग हॉल में की जावेगी। लाटरी हेतु आवेदन पत्र लाटरी दिवस के दिन दोपहर 12.00 बजे तक कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को आगामी लाटरी दिवस की लाटरी में आवेदित भूखंड की उपलब्धता के अधार पर शामिल किया जावेगा।

7. एक आवेदन पत्र केवल एक भूखण्ड आबंटन के लिये मान्य होगा।

8. दो से अधिक भूखंड एक ही व्यक्ति/परिवार को विक्रय नही किये जायेंगे ।

9. प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ **प्रथम चयनित भूखण्ड** के लिये तालिका में दर्शायी गई धरोहर राशि बैंकर्सचेक/डी.डी./NEFT/RTGS/BANK TRANSFER द्वारा जमा करानी होगी। जमा की गई धरोहर राशि अन्य दोनों चयनित भूखण्डों के लिये भी मान्य होगी। धरोहर राशि का समायोजन आबंटन स्वीकृत होने पर किया जावेगा।

10. ऐसे आबंटिती जिन्हें पूर्व में लॉटरी द्वारा कमल विहार योजना के अंतर्गत छोटे आकार का भूखंड का आबंटन प्राप्त हो चुका हो और यदि वे बड़े आकार का भूखंड लेने के इच्छुक हो तो वे पंजीयन शुल्क के अंतर की राशि जमा कर लॉटरी में भाग ले सकते है। (ऐसे परिवर्तन तभी स्वीकार होगे जब आवेदन पूर्व में आबंटित भूखंड से बड़े आकार के भूखंड के लिये प्रस्तुत किया जावेगा।)

11. भूखण्ड आबंटन के पश्चात् यदि आवेदक भूखण्ड नही लेना चाहेगा, तो उनके द्वारा जमा पंजीयन राशि वापसी योग्य नही होगी। पंजीयन राशि के अतिरिक्त यदि कोई किस्त जमा की गई हो तो वह राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जावेगी।

12. आरक्षण व्यवस्था को आवासीय योजनाओं के लिए प्रचलित नियमों के अनुसार रखा गया है। दो विज्ञापन प्रकाशन उपरांत यदि आरक्षित वर्ग के भूखण्ड का पंजीयन प्राप्त नहीं होता है, तो उन्हें अनारक्षित वर्ग में परिर्वतन कर दिया जावेगा ।

13. **(A) भूखंड की दर 2000 व.फु. से बड़े आकार के भूखण्डों के लिए पट्टे पर 1402/– प्रति वर्गफुट तथा फ्री होल्ड पर 1696/– प्रति वर्गफीट होगी।**

(B) भूखंड की दर 2000 व.फु. से छोटे आकार के भूखण्डों के लिए पट्टे पर 1472/– प्रति वर्गफुट तथा फ्री होल्ड पर 1781/– प्रति वर्गफीट होगी।

विशेष शुल्क अतिरिक्त रूप से देय होंगे जैसे कार्नर भूखण्ड 10%, 18 मीटर सड़क से लगा हुआ 2%, गार्डन फेसिंग 5%, कार्नर + गार्डन फेसिंग 13% परन्तु किसी भी दशा में 15% से अधिक नहीं होगा। उपरोक्त शुल्क की गणना आबंटित भूखण्ड के मूल प्रब्याजि पर की जावेगी।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदनकर्ता भूखण्ड को पट्टे अथवा फ्री होल्ड में से किसी भी एक विकल्प का चयन कर सकता है । इस हेतु अपनी स्वीकृति आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से दर्शानी होगी ताकि चयन अनुसार भूखण्ड का आबंटन किया जा सके।

15. फ्री – होल्ड में भूखण्ड लिये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अतिरिक्त राशि देय होगी :

(अ) भूखण्ड मूल्य का 1 प्रतिशत सम्परिवर्तन शुल्क एवं

(ब) भूखण्ड मूल्य का 2 प्रतिशत भू–भाटक 10 वर्षों हेतु ।

पुनः स्पष्ट किया जाता है कि फ्री – होल्ड में भूखण्ड लेना स्वैच्छिक है । यदि भूखण्ड का क्रय लीज होल्ड में किया जाता है तब 30 वर्षों तक भूखड की मूल प्रब्याजी राशि पर 2% वार्षिक की दर से भू–भाटक आबंटिती को नियमित भुगतान करना होगा । 30

वर्षों की अवधि पूरी होने पर लीज को पुनः नवीनीकरण किया जायेगा [शर्तें लागू]। लीज नवीनीकरण उपरांत भी संशोधित दर से भू-भाटक प्रत्येक वर्ष जून माह में देना होगा।

16. भूखंडों का आबंटन आदेश प्राप्त होने पर राशि निम्नानुसार अवधि में जमा करनी होगी।

    1. कुल राशि की 25 प्रतिशत राशि (प्रथम किश्त) आबंटन स्वीकृति सूचना तिथि से 03 माह में जमा करना होगा।
    2. कुल राशि की 25 प्रतिशत राशि (द्वितीय किश्त) आबंटन स्वीकृति सूचना तिथि से 06 माह में जमा करना होगा।
    3. कुल राशि की 25 प्रतिशत राशि (तृतीय किश्त) आबंटन स्वीकृति सूचना तिथि से 09 माह में जमा करना होगा।
    4. शेष राशि (पंजीयन राशि के समायोजन पश्चात्) एवं अन्य देय शुल्क, फ्री-होल्ड हेतु देय राशि (यदि आवेदकर्ता द्वारा फ्री-होल्ड कराया जा रहा है) सहित आबंटन स्वीकृति सूचना तिथि से 12 माह में जमा करना होगा। **समय पूर्व किश्तो का भुगतान करने पर Pro Rata Basis पर 8.75 प्रतिशत वार्षिक की दर से छूट दिनांक 30.03.2020 तक प्राप्त की जा सकती है।** यह भुगतान व्यवस्था सभी अकार के भूखंडो पर लागू रहेगी।

17. कंडिका क्रमांक (16) में उल्लेखित मांग पत्र के अनुसार निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं करने पर आबंटन निरस्त कर पंजीयन राशि प्राधिकरण के पक्ष में राजसात कर ली जावेगी एवं शेष राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जावेगी। आबंटन निरस्त किये जाने की स्थिति में प्राधिकरण को उपरोक्त भूखण्ड पुनः विक्रय किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा ।
18. आवेदन-पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा – आरक्षण प्रमाण पत्र एवं घोषणा पत्र को अनिवार्यतः संलग्न करना होगा। ऐसे व्यक्तियों को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी जिन्हे पूर्व में आबंटित भूखंडों की राशि वापस प्राप्त कर ली गई है अथवा उनके भूखंड प्राधिकरण द्वारा निरस्त किये गये है।
19. भूखंण्ड की सम्पूर्ण राशि जमा होने पर शासन के नियमानुसार आवेदक को स्वयं के व्यय पर विक्रय-विलेख, पट्टा विलेख अथवा फ्री-होल्ड विलेख का निष्पादन कराना होगा एवं एक माह के भीतर पंजीयन कार्यालय में उसका पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा ।
20. ऐसे पंजीयनकर्ता जो शासन या वित्तीय संस्था से भूखण्ड क्रय करने हेतु ऋण प्राप्त करना चाहते है, उन्हें प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र प्रदाय किया जायेगा ।
21. जलकर, भूभाटक, व्यवस्थापन शुल्क नियमानुसार पृथक से देय होगा ।
22. प्राधिकरण को देय समस्त राशि भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूली योग्य होगी।
23. भूखंडो का लेआउट प्राधिकरण द्वारा तय किया जा चुका है । इसमें व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आवेदन पत्रों के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जावेगा एवं न ही कोई दावा मान्य होगा। आबंटित भूखंड का किसी प्रकार से विभाजन कर विक्रय करने की अनुमति नहीं होगी, परन्तु सक्षम अधिकारी से विधिवत निर्माण की अनुमति प्राप्त कर निर्मित संरचना को छ.ग. प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 1976 के तहत् विक्रय किया जा सकेगा।
24. पंजीयन का नामांतरण नहीं किया जावेगा तथापि मूल आवेदक की मृत्यु होने की दशा में उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति के पक्ष में नामांतरण की अनुमति तभी दी जावेगी जब प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सभी शर्तें पूर्ण करेंगे, अन्यथा जमा राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जावेगी ।
25. पत्र व्यवहार हेतु आवेदक अपना पता एवं दूरभाष नंबर/ई-मेल आई.डी. स्पष्ट रूप से आवेदन फार्म में अंकित करें । अधूरे अथवा गलत पता दर्शाने के कारण सूचना नहीं

मिलने की जवाबदारी प्राधिकरण की नहीं होगी । इस हेतु आवेदक स्वयं समय–समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी लेते रहे।

26. पंजीयन स्वीकार करने मात्र से ही आबंटन के किसी अधिकार का सृजन नहीं होगा, आबंटन के संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।

27. किसी भी आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार प्राधिकरण के प्राधिकृत अधिकारी को रहेगा तथा इसके लिए कोई कारण नहीं बताया जायेगा ।

28. सक्षम प्राधिकारी यह अधिकार होगा कि वे पंजीयन के तिथि में वृद्धि कर सके, अथवा पर्याप्त पंजीयन होने पर घोषित तिथि के पूर्व पंजीयन बंद कर देवें ।

29. ऐसी योजना/योजनाएं जिनमें पर्याप्त संख्या में पंजीयन प्राप्त नहीं होते है अथवा विवाद या अन्य कारण से योजना/ योजनाएं ली जानी प्राधिकरण हित में नहीं होगा, उसे निरस्त करने हेतु प्राधिकरण स्वतंत्र होगा ।

30. उक्त योजनान्तर्गत रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर लागू किये गये नियम एवं शर्तें प्रभावशील रहेगें ।

31. आबंटिती को भूखण्ड आबंटन की शर्त, नियम, संकल्प, निर्देशों, आदेशों के अतिरिक्त समस्त शर्तों के साथ अनुबंध पत्र/विक्रय विलेख एवं लीज होल्ड/ फ्री–होल्ड विलेख में उल्लेखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा, उल्लंघन किए जाने पर शर्त के अनुसार कार्यवाही की जावेगी ।

32. आबंटिती को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, भूमि विकास नियम व उसके अधीन शासन द्वारा समय–समय पर बनाये गए नियम, उपनियम, आदेश–निर्देश, प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर पारित संकल्प आदि का पालन करना अनिवार्य होगा ।

33. निविदा एवं पट्टे के नियम एवं शर्तो से उद्धृत किन्हीं विवादों के संबंध में अथवा उभय पक्ष के मध्य उत्पन्न किसी विवाद के संबंध में अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष पंच निर्णय (आर्बिट्रेशन) हेतु सौंपा जायेगा । ऐसे विवाद का निपटारा अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा, जिसका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा । निविदादाता को पंच नियुक्त किये जाने के संबंध में आपत्ति करने का अधिकारी नहीं होगा, भले ही ऐसा पंच (आर्बिट्रेशन) रायपुर विकास प्राधिकरण का कोई अधिकारी ही क्यों न हो ।

34. अन्य जानकारी रायपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय से कार्यालयीन अवधि में प्राप्त की जा सकती है तथा मोबाईल नंबर 82230–88099 एवं 77730–99888

35. आवेदनों के लिये उपलब्ध भूखंडो का अभिन्यास में अवलोकन कमल विहार योजना के स्थल कार्यालय में किया जा सकता है तथा मोबाईल नंबर 93028–09141 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
रायपुर विकास प्राधिकरण,
रायपुर (छ.ग.)

कमल विहार योजना में आबंटन के लिए 29-05-2019
उपलब्ध भूखंड लॉटरी हेतु भूखण्डों की तालिका

क्रं.	सेक्टर	भूखण्ड की स्थिति				भूखण्डों की अनुमानित क्षेत्रफल वर्गफुट	भूखण्ड मूल्य (लीज होल्ड) 1472 (<2000) – 1402 रू (>2000) प्रति वर्गफुट	भूखण्ड मूल्य (फ्री होल्ड) 1781 (<2000) – 1696 रू (>2000) प्रति वर्गफुट	पंजीयन शुल्क (10 प्रतिषत)
		आरक्षण	भूखण्ड क्रमांक	दिशा	स्थिति				
1	8B	GEN	C-34	SW	C	626.46	INR 9,22,148	INR 11,15,723	INR 92,220
2	8B	GEN	C-36	W		645.83	INR 9,50,668	INR 11,50,230	INR 95,070
3	1	GEN	G-73	E		702.88	INR 10,34,643	INR 11,50,230	INR 95,070
4	1	GEN	G-75	E		702.88	INR 10,34,643	INR 12,51,834	INR 1,03,460
5	1	GEN	G-80	W		702.88	INR 10,34,643	INR 12,51,834	INR 1,03,460
6	1	GEN	G-81	W		702.88	INR 10,34,643	INR 12,51,834	INR 1,03,460
7	1	GEN	G-82	W		702.88	INR 10,34,643	INR 12,51,834	INR 1,03,460
8	11b	GEN	F-13	E		744.86	INR 10,96,437	INR 13,26,599	INR 1,09,640
9	11b	GEN	F-13a	E		928.71	INR 13,67,060	INR 16,54,031	INR 1,36,710
10	11b	GEN	F-14	E		928.71	INR 13,67,060	INR 16,54,031	INR 1,36,710
11	10	GEN	A-139	S		928.92	INR 13,67,377	INR 16,54,415	INR 1,36,740
12	11b	GEN	F-15	E		1280.90	INR 18,85,491	INR 22,81,290	INR 1,88,550
13	11b	GEN	F-16	E		1280.90	INR 18,85,491	INR 22,81,290	INR 1,88,550
14	11B	GEN	A-45	N		1483.59	INR 21,83,844	INR 26,42,274	INR 2,18,380
15	11b	GEN	F-17	E		1623.20	INR 23,89,345	INR 28,90,912	INR 2,38,930
16	11B	GEN	A-44	N		1814.8	INR 26,71,386	INR 32,32,159	INR 2,67,140
17	11A	GEN	D-46	N		2131.25	INR 29,88,013	INR 36,14,600	INR 2,98,800
18	11b	GEN	F-1			2216.29	INR 31,07,234	INR 37,58,823	INR 3,10,720
19	11b	GEN	A-101	N	G	2486.46	INR 34,86,018	INR 42,17,038	INR 3,48,600
20	11A	GEN	D-19	NE	CR	2583.34	INR 36,21,843	INR 43,81,345	INR 3,62,180
21	4	GEN	C-25A	S	G	3860.47	INR 54,12,379	INR 65,47,357	INR 5,41,240
22	11A	GEN	B-23	W	G	3875.01	INR 54,32,765	INR 65,72,017	INR 5,43,280
23	8A	GEN	C-13a	N		4143.46	INR 58,09,125	INR 70,27,301	INR 5,80,910
24	1	GEN	C-6a	S	R	4394.9	INR 61,61,650	INR 74,53,751	INR 6,16,170
25	1	GEN	C-7	S	R	4394.9	INR 61,61,650	INR 74,53,751	INR 6,16,170
26	12	GEN	B-29	S		4434.41	INR 62,17,043	INR 75,20,759	INR 6,21,700
27	11A	GEN	C-4	ES	CR	4582.52	INR 64,24,694	INR 77,71,954	INR 6,42,470

28	12	GEN	D-94	E	GR	4604.8	INR 64,55,925	INR 78,09,735	INR 6,45,590
29	4	GEN	D-122	N		5818.96	INR 81,58,188	INR 98,68,964	INR 8,15,820
30	4	GEN	A-56	N	GR	5996.57	INR 84,07,189	INR 1,01,70,180	INR 8,40,720
31	4	GEN	D-42	SE		6252.642	INR 87,66,204	INR 1,06,04,481	INR 8,76,620
32	4	GEN	D-43	NW		6252.642	INR 87,66,204	INR 1,06,04,481	INR 8,76,620
33	4	GEN	D-44	SE		6252.642	INR 87,66,204	INR 1,06,04,481	INR 8,76,620
34	8B	GEN	B-3	W	G	6405.12	INR 89,79,983	INR 1,08,63,089	INR 8,98,000
35	8B	**GEN**	B-4	W	-	6405.12	INR 89,79,983	INR 1,08,63,089	INR 8,98,000
36	8B	GEN	A-10	N		6697.30	INR 93,89,613	INR 1,13,58,618	INR 9,38,960
37	4	GEN	D-45	NE	C	7306.643	INR 1,02,43,913	INR 1,23,92,066	INR 10,24,391
38	6	GEN	B-46	E		7307.61	INR 1,02,45,272	INR 1,23,93,709	INR 10,24,530
39	5	GEN	B-83, B-84	S		11946.74	INR 1,67,49,336	INR 2,02,61,679	INR 16,74,930

Direction	
North	N
East	E
West	W
South	S

Terminology		**(@1402)**
C	Corner	10%
R	any road along any side of plot is 18 m. or more wide	2%
G	any side of plot is garden facing	5%
CGR	Corner, Facing Garden, 18m Wide Road	15%
CG	Corner and Facing Garden	13%
CR	Corner and 18m Wide Road	12%
RG	18m Wide Road and Facing Garden	7%

टीप :— (1) 2000 वर्गफुट तक के भूखण्डों की वर्तमान दर लीज हेतु 1,472/— रूपये एवं फ्री—होल्ड हेतु 1,781/— रूपये प्रति वर्गफुट की दर निर्धारित है।

अन्य जानकारी रायपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय से कार्यालयीन अवधि में प्राप्त की जा सकती है। मोबाईल नंबर 82230—88099 एवं 77730—99888